न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :–सुभाषचन्द्र, (आर.ए.एस.)

मैनु अल प्र.सं. :20/2012

जीसीएमएस : 2012/00180

1. सुखविन्द्रसिंह पुत्र श्रीमती निक्की उर्फ गुरजीतकौर पुत्री श्री दलीपसिंह पत्नी श्री बूटासिंह जाति जटसिख साकिन 52 एफ तहसील श्री करणपुर। –: अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत सांवतसर तहसील रायसिंहनगर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सांवतसर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. जतिन्दरसिंह }
3. राजिन्दरसिंह } पिसरान श्री सरदूलसिंह जाति जटसिख साकिन सेनपाल तहसील रानिया जिला सिरसा (हरियाणा)। –रेस्पोडेन्टस

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट</u>

रजू दिनांक:–17.02.2025

उपस्थिति :–

1.श्री राजाराम धारणियां अधिवक्ता अपीलांट।

2.श्री परमजीतसिंह मेहरा अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2–3।

दिनांक : 20.02.2025

–: <u>निर्णय</u>:–

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है चक दुलरासर बारानी का मु.नं. 31 के 6.199 है. बारानी तथा मु.नं. 32 के 6.325 है. बारानी अपीलान्ट के नाना दलीपसिंह पुत्र श्री केहरसिंह जाति जटसिख साकिन 39 पीएस तहसील रायसिंहनगर के नाम से खातेदारी भूमि थी। अपीलान्ट के नाना श्री दलीपसिंह की मृत्यु होने के बाद रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने मृतक दलीपसिंह के `विधिक उतराधिकारी गण के नाम से इन्तकाल संख्या 319 दिनांक 20.02.2008 को तस्दीक कर दिया गया। इन्तकाल तस्दीक होने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को जब इस तथ्य को जानकारी हुई तो उन्होने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलिभगत कर मृतक दलीपसिंह के विधिक उतराधिकारियों के नाम से किया गयां। इन्तकाल सं. 319 दिनांक 20.02.2008 को खारिज कर उक्त विवादित भूमि का रेस्पोंडेन्ट सं. 2 व 3 के नाम से रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा पुनः नया इन्तकाल संख्या 329 दिनांक 04.06.2008 को तस्दीक कर दिया जिस इन्तकाल को निनस्त कराने के लिए अपील पेश की गई। अपीलांट की माना निक्की उर्फ गुरजीतकौर जो मृतक दलीपसिंह की पैदाइसी पुत्री है तथा उनके न ाम उतराधिकारी होने के कारण इन्तकाल स. 319 तस्दीक किया गया था श्रीमती निक्की की मृत्यु होने के बाद अपीलांट उनका पेदाइसी पुत्र होने के कारण उनके हिस्सा की भूमि से प्रभावित होता है इसलिए अपीलांट की ओर से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। जब अपीलांट अपनी माता निक्की के नाम हुए विरास्तन इन्तकाल के संबंध में माता की मृत्यु के बाद निक्की के विधिक उतराधिकारीगण के नाम इन्तकाल दर्ज करने के लिए पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का ने अपीलांट को दिनांक 10.10.2012 को बतलाया कि आप की माता के नाम किया गया इन्तकाल सं0 319 खारिज किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम अपीलाधीन भूमि का [illegible] तस्दीक किया जा चुका है तो उक्त जानकारी के उपरान्त यह अपील बिना [illegible] में पेश कर रहा है जो अन्दर मियाद है तथा [illegible] पेश [illegible] अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील [illegible] स्वीकार की [illegible] सं. 2 व 3 के नाम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा किया [illegible] 329 दिनांक 04.06.2008 चक दुलरासर बारानी का मु.नं. 31 व 32 [illegible] 524 [illegible] निरस्त कर पूर्व में मृतक दलीपसिंह के विधिक उतराधिकारी गण [illegible] किया गया इन्तकाल सं. 319 दिनांक 20.02.2008 को बहाल किया जावे।
2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को तलब किया [illegible] रेस्पोंडेन्ट सं. 2–3 की तरफ से श्री परमजीतसिंह मेहरा अधिवक्ता हाजिर आये

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:46:01 IST
Reason: SelfAttested
AnyScanner

उनके द्वारा दिनांक 10.10.2024 को फार्म नं. 3 के साथ संलग्न प्रतिलिपि अपर सेशन न्यायाधीश रायसिंहनगर निर्णय दिनांक 30.08.2019, वसीयत की प्रति दिनांक 12.10.1997 एवं दलीपसिंह के वारिसान के ब्यान की प्रति प्रस्तुत की गई। दिनांक 11.11.2024 को भी फार्म नं. 3 के साथ अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर का दिनांक 06.11.2017 के निर्णय की प्रति व उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर रिट संख्या 5033/21 व 5207/21 की छायाप्रति पेश की गई। ग्राम पंचायत सावंतसर द्वारा अपने पत्र क्रमांक जीपी/2021–2022/02 दिनांक 04.01.2022 से अवगत करवाया है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2008–09 का बैठक कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं हैं क्योकि उक्त वर्ष का कार्यवाही रजिस्टर पूर्व वीडीओ/ तत्कालीन वीडीओ द्वारा चार्ज में नहीं दिया गया है। जिसके अभाव में उक्त कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं है उक्त रिकार्ड की एफआईआर पंचायत समिति द्वारा पुलिस थाने में दर्ज है। मौका जांच रिपोर्ट को शामिल मिसल किया गया।

3. अपील में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराया व कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा किया गया इन्तकाल संख्या 329 दिनांक 04.06.2008 से चक दुलरासर बारानी मु.नं. 31 व 32 के 12.524 है. बारानी का निरस्त कर पूर्व में मृतक दलीपसिंह के विधिक उतराधिकारीगण के नाम किया गया है इस इन्तकाल संख्या 319 दिनांक 20.02.2008 को बहाल किया जावे। रेस्पोडेन्ट के अधिवकता ने कथन किया कि चक दुलरासर बारानी मु.नं. 31 व 32 की कुल 12.524 है. बारानी भूमि दलीपसिंह पुत्र केहरसिंह के नाम पुख्ता आवंटन हुई है उक्त भूमि दलीपसिंह के वारिसान की सहमति से वसीयत के आधार पर हुई है इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा इन्तकाल संख्या 329 दिनांक 04.06.2008 को तस्दीक किया गया है वह सही है इस संदर्भ में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत निगरानी फौजदारी प्र.सं. संख्या 84/2018 अपर सेशन न्यायाधीश रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 30.08.2019 को खारिज कर इन्तकाल संख्या 329 दिनांक 04.06.2008 को उचित माना है अतः अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर मय खर्चा खारिज की जावे।

4. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से अवगत करवाया गया है कि ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर इन्तकाल संख्या 319 व 329 निर्णय दिनांक 20.02.2008 व 05.06.2008 कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज में अपीलार्थी की माता की सहमति स्वरूप ब्यान कि मेरे पिता ने वसीयत दिनांक 12.10.1997 को की थी यदि वसीयत अनुसार भूमि दर्ज की जाती है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। दलीपसिंह के विधिक वारिसान के ब्यान पत्रावली में उपलब्ध है उनके अनुसार भी वसीयत के अनुसार यदि भूमि रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। उक्त भूमि दलीपसिंह को पुख्ता आवंटित है। अपीलांट इन्तकाल संख्या 329 दिनांक 05.06.2008 को खारिज करवाना चाहता है इस इन्तकाल को न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश रायसिंहनगर ने अपने निर्णय दिनांक 30.08.2019 से उचित माना है। तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट संख्या 5033/2021 विचाराधीन है। इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

–:आदेशः–

<u>अपील अपीलार्थी की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विद्वान अधिवक्तागण के कथनों व तथ्यों के आधार पर खारिज की जाती है।</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.05 12:46:01 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर